तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2023		

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प/कोर्ट श्रीसुरपुरा में प्रस्तुत हुई। जिसके मुकदमा नम्बर 55/2022 अनवान प्रतापसिंह वगैरा बनाम हीरसिंह वगैरा है।

वादीगण स्वंय एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो गया है अतः वाद का जरिये राजीनामा निस्तारण किया जावे तथा सरकारी पैरोकार ने उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से वाद का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/13 रकबा 7.2843 हैक्टेयर के रूप में स्थित है, जो पैतृक सम्पति है वह वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। वाद पत्र के साथ दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये तथा वाद के अंत में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया और उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज किये जाने का निवेदन किया। [illegible] संख्या 1 ने वारिसान तस्दीक हेतु वारिसनामा पेश किया जो शामिल [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:38 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कथनों पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत वारिसनामा के अनसुार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। मौजा कानसिंह की सिड के

शिविर प्रभारी

नामान्तरण संख्या 1165 एवं वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/113 रकबा 7.2843 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2023 को बइजलास सुनाया गया।

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)
शिविर प्रभारी
सहायक कलक्टर बाप
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकद्दमें इजराई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

शिविर प्रभारी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. प्रतापसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर
3. अर्जुनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर
4. परबतसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर
5. दीनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण............

बनाम

1. हीरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खिढरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.......

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्या :- 55/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुद्दई व प्रकाश विश्नोई प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/113 रकबा 7.2843 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें नीचे मुतालिक

खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शरह बाबत्

तारीख फीस सदी सालाना आज की

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/05/2023 को जारी की गई।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर बाप
केम्प श्रीसुरपुरा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:38 IST
Reason: SelfAttested